मध्य प्रदेश शासन
प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति
सचिवालय

कार्यालयः टैगोर छात्रावास क्रमाँक टी–2, भूतल, बाएं विंग, श्यामला हिल, भोपाल–462002
दूरभाष एवं फैक्स : 0755–2660461, ई–मेल : afrcmp@gmail.com

क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2016 / 4145 दिनांक – 23/9/16

प्रति,

संचालक,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा,
सतपुड़ा भवन, भोपाल।

विषय– सत्र 2016–17 के लिये एम.सी.आई. / एम.ओ.एच.एण्ड एफ.डब्ल्यू. से अनुमोदन प्राप्त नवीन संस्था के शुल्क निर्धारण बावत्।

संदर्भ– इस सचिवालय का पत्र क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2016 / 3825 दिनांक 27.08.2016.

***

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति के द्वारा दिनांक 27.08.2016 के पूर्व तक विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त शुल्क विनियमन प्रस्ताव की संस्थाओं की सुनवाई पूर्ण कर उसकी सूची आपको संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित कर दी गई है। दिनांक 27.08.2016 को प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति की बैठक के पश्चात् **एडवांस मेडिकल साइंस एण्ड एजुकेशन सोसायटी, भोपाल के द्वारा संचालित संस्था एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, भोपाल** के द्वारा नवीन पाठ्यक्रम के लिये शुल्क विनियमन हेतु प्रस्ताव इस सचिवालय को प्राप्त हुआ है। इस संस्था के द्वारा शुल्क विनियमन हेतु निरीक्षण / प्रोसेसिंग शुल्क भी जमा करा दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा इसे संज्ञान में लिया गया एवं प्राप्त निर्देशानुसार उक्त संस्था के शुल्क विनियमन के प्रस्ताव को प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति की आगामी बैठक में संज्ञान में लिया जावेगा एवं तदोपरांत समिति द्वारा विनियमित की शुल्क की जानकारी उपलब्ध करायी जा सकेगी।

साथ ही निर्देशानुसार लेख है कि पूर्व में समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार एम.बी.बी.एस. की नवीन 04 संस्थाओं हेतु प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति के द्वारा सत्र 2016–17 के लिये एम.सी.आई. / एम.ओ.एच.एण्ड एफ.डब्ल्यू. से अनुमोदन प्राप्त नवीन संस्था के लिये रू. 5,00,000 /– प्रतिवर्ष सत्र 2016–17 (केवल एक वर्ष) के लिये शुल्क का विनियमन किया गया है।

कृपया अवगत होने का कष्ट करें।

N.K. Sharma 23/9/16
(डॉ. एन.के. शर्मा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

पृ. क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2016 / 4146 दिनांक– 23/9/16

प्रतिलिपि–माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

N.K. Sharma 23/9/16
(डॉ. एन.के. शर्मा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी